संख्या-6/131/30-3-14-4बी/2013

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 13 जनवरी, 2014

विषय - विभाग में तैनात सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हेतु वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39स्टोर्स/इन्फ/2013टीकवर/2012, दिनॉक 28-05-2013 एवं पत्रांक-112स्टोर्स/इन्फ/2013-वा0आवं0/09, दिनॉक 21-10-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को वाहन की स्वीकृति होने तक के लिये 30 वाहन शासकीय राजस्व वसूली/प्रवर्तन कार्य हेतु किराये पर लिये जाने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2275/30-3-12-15बी/2012, दिनॉक 30-08-2012 एवं शासनादेश संख्या-1484/30-3-13-15बी/2012, दिनॉक 18 जून, 2013 द्वारा यात्री/माल कर अधिकारियों से राजस्व की वसूली तथा प्रवर्तन कार्य लिये जाने हेतु कुल 50 वाहनों को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। इन 50 वाहनों में से 30 वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को आवंटित किये जाने तथा पूर्व स्वीकृत उपरोक्त 50 वाहनों के अतिरिक्त राजस्व वसूली और प्रवर्तन कार्य हेतु 10 और वाहन दिनॉक 01-01-2014 से दिनॉक 31-03-2014 तक किराये पर लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त स्वीकृति प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनॉक 30-08-2012 एवं 18 जून, 2013 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के ही अधीन होगी।

4- कुल वाहनों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी।

5- उपरोक्तानुसार 30 वाहनों का पुनरावंटन एवं 10 अतिरिक्त वाहनों का आवंटन परिवहन आयुक्त विभागीय आवश्यकता के अनुसार करेंगे।

6- उक्त् प्रयोजन हेतु वाहन किराये पर लिये जाने की प्रक्रिया में सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का प्रत्येक दशा में कडाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाये तथा आवश्यकतानुसार कोटेशन/टेण्डर आदि प्राप्त करने के उपरान्त न्यूनतम दर पर ही वाहन किराये पर लिये जायें।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2013-14 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-ई-9-17/दस-2014, दिनॉक 10 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-6/131(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in